## न्यायालय उपजिलाधिकारी बिन्दकी जिला फतेहपुर

वाद सं0 टी  धारा 80 रा0 स0 अधि0

मौजा मोहीद्दीनपुर पर0 कोडा तह0 बिन्दकी जिला फतेहपुर

मिथलेश कुमारी  बनाम  ग्रामसभा

आदेश

प्रस्तुत वाद वादिनी मिथलेश कुमारी पत्नी रमेशचन्द्र उमराव नि0 815 साकेत नगर बसन्त बिहार 1धक नौबस्ता कानपुर नगर प्रबन्धक उमराव ने उ0 प्र0 सरकार को प्रतिपक्ष बनाते हुये वाद योजित कर कहा है कि मौजा मोहीद्दीनपुर पर0 कोडा तह0 बिन्दकी जिला फतेहपुर की खाता सं0 77 के गाटा सं0 9मि. रकबा 0.1620 हे0 एवं खाता सं0 90 के गाटा सं0 5ख रकबा 0.0100 हे0 व गाटा सं0 10 रकबा 0.0200 हे0 एवं खाता सं0 72 के गाटा सं0 6 रकबा 0.3640 हे0 एवं खाता सं0 42 के गाटा सं0 9मि. रकबा 0.1620 हे0 एवं खाता सं0 173 के गाटा सं0 8ख रकबा 0.0080 हे0 एवं खाता सं0 81 के गाटा सं0 7 रकबा 0.1210 हे0 व गाटा सं0 5क रकबा 0.0300 हे0 व गाटा सं0 12 रकबा 0. 5500 हे0 एवं खाता सं0 95 के गाटा सं0 9मि. रकबा 0.0810 हे0 एवं खाता सं0 106 के गाटा सं0 9मि. रकबा 0.0810 हे0 कुल 11 किता रकबा 1.5890 हे0 भाग में विद्यालय निर्माणाधीन कार्य चल रहा है जिसमें कृषिकार्य न होने के कारण आकृषिक बिना लगानी भूमि घोषित किये जाने की याचना की है।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच नायब तहसीलदार से दिनांक 22.06.2016 को कराई गयी जिसमें अपनी आख्या में लिखा है कि उक्त भूमि पर विद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है जिस पर कृषिकार्य नही होता है एवं वादग्रस्त आराजी में वर्तमान समय पर कृषिकार्य न होने के कारण आकृषिक बिना लगानी भूमि घोषित किये जाने की संस्तुति की है।

वादी के विद्वान अधिवक्ता की बहस को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया वादिनी के वादग्रस्त आराजी में कृषिकार्य न होने के कारण एवं विद्यालय निर्मित होने के कारण 1 प्रतिशत मु0 15090 स्टेट बैंक आफ इण्डिया बिन्दकी में दिनांक 16.07.2016 को 0029 हेड में जमा कराया गया जिसे आकृषिक बिना लगानी भूमि घोषित किये जाने में कोई विधिक बाधा प्रतीत नही होती है।

अतः आदेश हुआ कि मौजा मोहीद्दीनपुर पर0 कोडा तह0 बिन्दकी जिला फतेहपुर की खाता सं0 77 के गाटा सं0 9मि. रकबा 0.1620 हे0 एवं खाता सं0 90 के गाटा सं0 5ख रकबा 0.0100 हे0 व गाटा सं0 10 रकबा 0.0200 हे0 एवं खाता सं0 72 के गाटा सं0 6 रकबा 0.3640 हे0 एवं खाता सं0 42 के गाटा सं0 9मि. रकबा 0.1620 हे0 एवं खाता सं0 173 के गाटा सं0 8ख रकबा 0.0080 हे0 एवं खाता सं0 81 के गाटा सं0 7 रकबा 0.1210 हे0 व गाटा सं0 5क रकबा 0.0300 हे0 व गाटा सं0 12 रकबा 0.5500 हे0 एवं खाता सं0 95 के गाटा सं0 9मि. रकबा 0.0810 हे0 एवं खाता सं0 106 के गाटा सं0 9मि. रकबा 0.0810 हे0 कुल 11 किता रकबा 1.5890 हे0 भाग में विद्यालय निर्माणाधीन कार्य चल रहा है जिसमें कृषिकार्य न होने के कारण आकृषिक / बिना लगानी भूमि घोषित की जाती है तदानुसार अभिलेखो में अंकन हो आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक को भेजी जाये बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

1.8.2016

उपजिलाधिकारी
बिन्दकी

10-8-16

Scanned with CamScanner

FOR COPYING FEES ONLY

TWO RUPEES

FOR COPYING FEES ONLY

50 PAISE

FOR COPYING FEES ONLY

Subash Kumar Srivastava (Pankaj)
Stamp Vendor Lic. No. 18
Tehsil-Bindki, Distt. Fatehpur

न्यायालय उप जिलाधिकारी बिन्दकी

वाद सं० टी 20160 2250 22975 धारा 80 ज०वि०सु० अधिनियम

मौजा मोहीउद्दीनपुर परगना तह० बिन्दकी

मिथलेश कुमारी बनाम उ०प्र० सरकार

नकल आदेश दिनांक 1-8-16 की प्रमाणित प्रतिलिपि

उप जिलाधिकारी बिन्दकी
09
8-16

(हस्ताक्षर)

अनुभाग वाद
कार्यालय उप जिलाधिकारी-बिन्दकी